

# **ANNUAL REPORT**

## **2013-14**



### **H.P. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS REGULATORY COMMISSION**

**Majitha House Complex, Shimla-171002**

**(Website: [www.hp.gov.in/hpperc](http://www.hp.gov.in/hpperc))**

## CONTENTS

<b>S. NO</b>	<b>TITLE</b>	<b>PAGES</b>
1	INTRODUCTION	1-2
2	ORGANISATION OF THE COMMISSION	3-4
3	ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMISSION	5-6
4	IMPLEMENTATION OF THE ACT AND ORDERS ISSUED	7-18
5	PENALTIES IMPOSED ON VARIOUS DEFAULTING INSTITUTIONS AND STATUS OF LEGAL CASES IN THE HON'BLE COURTS	19
6	OTHER OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS	20
7	ACCOUNTS OF THE COMMISSION	21-23

## CHAPTER-1

### INTRODUCTION

The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission was established by the Govt. of Himachal Pradesh under Section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011) for the purpose of providing a regulatory mechanism in the State and for working as an interface between the State Government and Central Regulatory Bodies for the purpose of ensuring appropriate standards of admission, teaching examination, research, extension programmes and protection of interest of students of the private higher educational institutions. The Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011 covers various operational aspects for implementation of the Act such as terms and condition of services, directive powers, operation of funds, penalties, etc. The provisions of this Act or Rules or Orders made thereunder, shall have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

The following legislations, rules and regulations are significant and worth mentioning here in context to the role and functions of the Regulatory Commission.

- Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010: The Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the sixty-first year of the Republic of India promulgated this legislation which provides for establishment of the Regulatory Commission and Regulatory mechanism in the State for the purpose of ensuring appropriate standards of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the private higher educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto;
- University Grants Commission Act, 1956 and Rules & Regulations made there under.
- UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003.
- UGC (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulation, 2009.
- All India Council for Technical Education Act, 1987 and Rules & Regulations made there under.

- Other State/Central Regulatory Bodies Acts/Rules/Regulations providing standards and norms, which have bearing on, the quality of higher education.

**VISION FOR HIGHER EDUCATION:** The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission envisages its role as a facilitator and partner with Govt., Central regulatory bodies and institutions for quality higher education with the following Vision.

**“To make Himachal Pradesh a recognized hub and a preferred choice of students for Quality Higher Education”.**

**CORE VALUES:** In order to meet the Vision for higher education within the framework of legislations, the Regulatory Commission commits itself and sets forth the following Core Values.

- 100% commitment to Higher Education quality.
- Transparency.
- Integrity.

\*\*\*\*\*

## CHAPTER-2

### ORGANIZATION OF THE COMMISSION


**Constitution of the Commission:** The Government of Himachal Pradesh *vide* Notification No. EDN-A-Ka(3)-12/2009 dated 27.07.2011 appointed Ms. Sarojini Ganju Thakur, IAS (*Retd.*) as founder Chairperson of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission for a period of three years or until she attain the age of 65 years, whichever is earlier. Prof. Jagat Bhushan Nadda, was appointed Member of the Commission by the Govt. of Himachal Pradesh *vide* notification No. EDN-A-Ka (3)-12/2009 dated 02.07.2012 and he worked as such up to 15.05.2013.

**Staff of the Commission:** The Government of Himachal Pradesh has initially sanctioned 27 different categories of post(s) in the Commission *vide* Notification(s) No. EDN-A-Ka(3)-12/2009 dated 20.07.2011 and 13.01.2012 respectively. The staff in-position against the sanctioned strength as on 31.03.2014 was as under:

Sr. No.	Category of Posts	Sanctioned	Filled-up	Vacant (as on 31.03.2014)
1	Chairperson	1	1	-
2	Member	1	0	1
3	Secretary	1	1	-
4	Advisors	2	1	1
5	Law Officer	1	-	1
6	Programmer	1	1	0
7	Finance officer	1	1	-
8	Private Secretary	1	-	1
9	Personal Assistants	3	1	2
10	Senior Assistants	2	1	1
11	Clerk	1	1	-
12	DEO	3	1	2

Sr. No.	Category of Posts	Sanctioned	Filled-up	Vacant (as on 31.03.2014)
13	Driver	3	3	0
14	Class-IV	5	3	2
15	Chowkidar	1	-	1
<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>15</b>	<b>12</b>

**The Organisation structure of the Commission is as under:-**



\*\*\*\*\*

## CHAPTER-3

### ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMISSION

**Powers and functions of the Commission:** The H.P. Private Educational Institutions Regulatory Commission has been mandated to discharge the following functions under the Act.

- (1) It shall be the duty of the Commission to ensure that standards of admission, teaching, examination, research, extension programme, qualified teachers and infrastructure, are being maintained by the Private Educational Institutions in accordance with the guidelines issued by the Regulatory Bodies of the Central Government or the State Government or by the Central Government or the State Government from time to time. In case of failure of the Educational Institutions to meet the standards laid down, the Commission shall have the power to penalize the Educational Institutions under section 11 of the Act and in case of successive failure of an Institution to meet the standards, the Commission may recommend to the State Government/ Regulatory Body for the winding up of the Institution.
- (2) The Commission shall ensure that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in National Common Entrance Test or the State Common Entrance test or any other test as notified by the State Government and where there is no National Level Common Entrance Test, or State Level Common Entrance Test or any other test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination.
- (3) The Commission shall develop an appropriate mechanism for receipt and redressal of grievances of students and parents, and direct the private institution to set-up a proper Grievances Redressal mechanism for redressal of complaints reported to the Commission. Such complaints shall be addressed within the time fixed by the Commission with details of the steps taken by the institution to redress such complaint.
- (4) The Commission may conduct inspections of Private Educational Institutions as and when required and may form expert committees, for inspections of Private Educational Institutions.
- (5) The Commission shall have the power to monitor and regulate fees in Private Educational Institutions.

### **Procedure and Powers of the Commission:**

- (1) The Commission shall, for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely :-
  - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
  - (b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
  - (c) receiving evidence on affidavits;
  - (d) requisitioning of any public record;
  - (e) issuing commission for the examination of witnesses;
  - (f) reviewing its decisions, directions and orders;
  - (g) any other matter which may be prescribed.
- (2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter as the Commission may consider appropriate.
- (3) The Commission may authorize any person, as it deems fit, to represent the interest of the students and parents in the proceedings before it.
- (4) All disputes under this Act shall be decided summarily in accordance with the provisions of Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908.

### **Penalties:**

- (1) The Commission may, for the contravention of any of the provision of this Act or the rules or regulations made there under, or directions issued by the Commission, impose penalty, in such manner as may be prescribed, but not exceeding one crore rupees:

Provided that the maximum penalty for a second or subsequent contravention shall be five crore rupees;

Provided further that no penalty shall be imposed unless the institution concerned is given an opportunity of being heard.

- (2) The penalty imposed under sub-section (1) shall be recoverable from the endowment fund or any other Fund or as arrear of land revenue from the Educational Institution concerned.

While exercising power and discharging its duties, the Regulatory Commission ensures utmost transparency and accountability in its functioning.

\*\*\*\*\*



## CHAPTER-4

### IMPLEMENTATION OF THE ACT AND ORDERS ISSUED

The Regulatory Commission with the aim to achieve the objectives and in the pursuit of discharge of its functions under Section 9 of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 has taken several initiatives not only to establish the institution but also to develop regulations/systems for implementations of various regulatory provisions within the shortest possible time in view of the complex scenario of education in the private higher educational institutions of the State. The Regulatory Commission covers all the private educational institutions in the State viz., Degree Colleges, Professional Colleges of Education, Institutes of Technical Education, Management, Law, Engineering, Medical, Pharmacy, Paramedical Institutions and Universities, Centre of Excellence or any other educational institutions of higher learning, except schools affiliated to any recognised Board of School Education. There are approximately 252 institutions of higher education under the jurisdiction of Regulatory Commission in the State including 16 state private universities and 17 private engineering colleges. Geographical distribution of private higher educational institutions in the State is as under.

District	University	Engineering Technology & Management Colleges	Polytechnic Colleges	B.Ed/ M.Ed/ BP.Ed Colleges	Pharmacy/ Nursing/ Dental/ Homeopathy	Degree/ Sanskrit/ Law & Bio-Sciences Colleges	Total
Shimla	1	1	-	10	3	12	27
Chamba	-	-	-	2	-	5	7
Kangra	2	2	2	17	4	18	45
Hamirpur	1	2	4	12	2	11	32
Mandi	-	4	6	19	4	7	40
Sirmour	1	3	1	4	2	7	18
Una	1	2	3	4	2	15	27
Bilaspur	-	1	-	2	1	5	9
Solan	10	2	4	9	6	10	41
Kinnaur	-	-	-	1	-	-	1
L & Spiti	-	-	-	-	-	-	0
Kullu	-	-	-	3	1	1	5
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>83</b>	<b>25</b>	<b>91</b>	<b>252</b>

To improve education standards and implementation of regulatory norms in the institutions of higher education, wherein, more emphasis was given to the Universities. The H. P. Private Educational Institutions Regulatory Commission has taken following initiatives during the year 2013-14.

**1. Stakeholder’s Consultation:**

The Regulatory Commission has been working as a facilitator with Private Universities in order to improve quality of education and initiated stakeholders consultation process so as to establish future ways of working and to provide enabling regulatory environment with the State Government Agencies involved in the process of establishment of institutions, approval of courses/fees, monitoring of norms and with the



**Stakeholders Consultation Meeting**

State Private Universities regarding streamlining the process and ‘Building a Vision for Private University Education in the State.

**2. Course Approvals and Academic Review:**

The Govt. of Himachal Pradesh in May, 2012 introduced an amendment in the State Private University Acts to make the HP-PERC responsible for course approvals. It also prescribes a time schedule for such approval making it mandatory by 31 December of the concerned year. To ascertain the status of courses offered by the state private universities vis-à-vis approvals, detailed academic review were undertaken by the Commission and initiated action against the institutions having any shortfall in faculty, infrastructure etc. Besides, in pursuit to bring transparency and accountability in the functioning of the Universities, after constant persuasion and reviews, the Regulatory Commission has brought all information on approved courses/ fees, students enrolled, faculty, infrastructure, academic regulations, course curriculum, degree awarded etc. on the public domain through their websites.

During the academic session 2013-14, sixteen state private universities have offered Diploma/Under Graduate/Graduate/Post Graduate/Research programmes in about 33 engineering discipline(s) and 59 other courses of management(s), science(s), social science(s), law, pharmacy, etc. as per the following details.

<b>S. No</b>	<b>Degree/Diploma Programs</b>	<b>Engineering</b>	<b>Others course(s)</b>	<b>Total</b>
1	Under Graduate Degree	12	23	35
2	Post Graduate Degree	16	25	41
3	Research Degree	5	9	14
4	Other Diploma/ Certificate course(s)	0	2	2
<b>Overall status</b>		<b>33</b>	<b>59</b>	<b>92</b>

Approvals for running of existing as well as new courses were subject to the following terms and conditions, that;

- a. The universities shall observe the eligibility criteria, minimum standard of instructions and prescribed norms for the running of a course/programme/grant of degree which shall be imparted by a duly qualified teaching staff and appropriate academic physical infrastructure facilities as prescribed by the relevant regulatory bodies e.g. UGC/AICTE/PCI/BCI etc.
- b. The academic infrastructure and other facilities like labs, equipments and computers should be available as per norms of the relevant regulatory bodies by the time the prospectus is ready for issuance to the students.
- c. The availability of essential academic infrastructure like lab etc. for each course/programme must also find mention in the prospectus. The number of seats approved for each course along with seats reserved, approved fee structure, schedule of admission and admission criteria must interalia find mention in the prospectus.
- d. The nomenclature and duration of the course/degree/programme should conform to UGC/other regulatory bodies.
- e. The universities shall ensure submission of requisite information to the UGC as required under Sections 3.7 & 3.8 of U.G.C. (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 which interalia requires

sending of intimation to the U. G.C six months prior to starting of a new course. Where the U.G.C. inspection is overdue, the university shall ensure submission of requisite information to the U.G.C. in the prescribed format at the earliest so that inspection could take place.

- f. The basis for admission to B.Tech and MBA courses shall be through JEE (Main) and CMAT respectively or as prescribed by the State Govt. from time to time.
- g. Where applicable, the universities shall take appropriate steps for seeking course accreditation which will add to its credibility besides enhancing employability of the students-both nationally and internationally. The commission may be kept informed of the progress made in this regard from time to time.
- h. The universities website shall be updated as per directions given from time to time by the Commission for information of students/general public. The information sought for by the Regulatory Commission regarding the functioning of the university including aspects like admission, student admitted, examinations; faculty and academic infrastructure etc must be furnished from time to time in the manner as required by the Regulatory Commission.
- i. Where the student's intake in any course is less than 20% of the sanctioned intake, the academic regulations of the University must provide option to student for migration, if not already existing.
- j. The universities shall strictly comply with the UGC (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities Regulations, 2003.
- k. Proposal for fee approval for the existing/ new courses for academic session 2013-14 to be submitted to the State Government within the prescribed time frame in the manner as prescribed.
- l. If any information provided is found incorrect at any stage or the assurances provided regarding meeting the norms of faculty and infrastructure in respect of all courses or in the event of violation of standards of admission, charging of excess fees than approved or indulging in practices which are not in conformity with the prescribed regulations, the Commission reserves its right to withdraw the approval and take such action, as it may deem fit.

The status of Course(s) offered by each State Private University vis-a-vis student's enrolment during academic session 2013-14 was as under.

Sr. No.	Name of University	Enrolled Students		Total Enrolled Students
		Engg.	Others	
1	APG University, Shimla	170	196	366
2	Maharaja Agrasen University	244	147	391
3	Arni University, Kangra	99	216	315
4	Baddi University, Solan	523	51	574
5	Bahara University, Solan	227	93	320
6	Career Point University, Hamirpur	57	28	85
7	Chitkara University, Solan	855	2	857
8	Eternal University, Baru Sahib, Sirmour	60	198	258
9	IEC University, Solan	131	100	231
10	Indus International University, Una	47	50	97
11	Jay Pee University, Solan	408	0	408
12	Manav Bharti University, Solan	77	0	77
13	MM University, Solan	21	33	54
14	Shoolini University, Solan	319	141	460
15	Sri Sai University, Palampur	130	76	206
16	ICFAI University, Solan	14	11	25
	<b>Total</b>	<b>3382</b>	<b>1342</b>	<b>4724</b>

From the above tables, it is clear that the focus of institutions is mainly to offer courses/programme of studies in Engineering/Technical discipline and that other courses which include management, pharmacy, hotel management, science and art subjects are comparatively less.

During the year, the Commission has also constituted a Committee to review all research programmes being run by the private universities in the State as per the following terms of reference and directed the universities to remove deficiencies as noticed during review to bring their programmes in line with the UGC (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulation, 2009, which were mostly complied with. The Terms of Reference/Parameters for review of research programmes were as under:

1. Compliance regarding fulfilment of minimum criteria in terms of procedure followed for admission, eligibility/allocation criteria for supervisor's availability of in-house

faculties, compliance of condition of course work and assessment methods as prescribed under the UGC (Minimum Standards and procedure for Award of M.Phil/Ph.D degree) Regulation 2009.

2. To ascertain whether the Academic regulations framed by the universities are in conformity with the UGC (Minimum Standards and procedure for Award of M.Phil/Ph.D degree) Regulation 2009 or not?
3. To check whether the fee charged for M.Phil/Ph.D programmes are duly approved by the competent authority or not and number of in-house faculty available for Ph.D/M.Phil programmes by the University?
4. To check whether Research Development Committee constituted or not?
5. Any other point/Suggestion incidental to the running Ph.D/M.Phil Programmes by the State Universities?

Besides, the Committee has also suggested and recommended certain safeguard for improvements in research activities of the universities;

- a) That new Ph.D programme should only be started in those disciplines where there is a strong faculty base. Generally, a new Ph.D programme should only be started after at least three years of the running of the Masters Programmes in that discipline. In all disciplines whether social sciences, humanities or management or basic sciences the position of the faculty, library and connectivity with internet facilities from INFLIBNET, etc., should be checked and in the case of basic sciences minimum number of functioning laboratories, equipment and faculty should be verified on the spot. Evaluation of these recommendations should be the starting point for any programme to be approved. For existing and approved programme the inspection of the minimum infrastructure should be made again to evaluate whether the programme are really workable or working at present.
- b) The whole Ph.D programme and the processes leading to these have to be made academic and student-centric. Students should enjoy adequate safeguards. That will ensure the quality of research and also check the sole revenue enhancing exercise of the University. This should be uniformly applied to all the Universities.
- c) There is no retention policy and faculty improvement programmes for the faculty. Though it is an universal fact that a professional will look to move to better avenues but a frequent movement of faculties from one to another institution in the case of private University will harm the interest of the students as the new institution will not

allow continuation of Ph.D guidance of student registered with the earlier University of the Faculty due to the conflict of interest.

- d) Linkages with other institutions and Universities should be established.
- e) The faculty has appreciably good track of the extra-mural financial support in the form of projects. That should be translated to augment research facilities and support the deserving students in the form of fellowships. Such measures will boost the research output of the University.
- f) Students' presentations for six monthly progress monitoring and pre-thesis submission should be held.
- g) Soft copies of the RDC meetings, approved synopsis, abstracts and thesis should be posted on the website and the last two should be submitted to the HPPEREC and UGC.

### **3 Admission Norm:**

The H.P Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 provided that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in National Common Entrance Test or the State Common Entrance test or any other test as notified by the State Government and where there is no National Level Common Entrance Test, or State Level Common Entrance Test or any other test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination. Therefore, in order to regulate admission norms especially in technical and professional courses and with a view to adopt transparent uniform cross comparable admission processes in the State, duration and entry level qualification for all technical and professional courses not to be less than the AICTE norms was prescribed and each university was directed to notify this requirement in advance on their website and prospectus for the next academic session. The Commission has streamlined the admission criteria and ensured merit based admissions in all the State Private Universities and made admission disclosure mandatory not only to the Commission but also to the public at large through their web portals.



The admission norms prescribed by the State Govt. for the academic session 2013-14 were as under:

Sr. No.	Name of Programme	Norms Prescribed
1	B.Tech	JEE/65% marks in three subjects (60% for SC/ST Category)
2	M.Tech	State/Central level Common Entrance Examinations.
3	MBA	State/Central level Common Entrance Examinations.
4	MCA	State/Central level Common Entrance Examinations.
5	M.Pharma & B.Pharma	State/Central level Common Entrance Examinations.
6	B.Arch	NATA

The above admission criteria were further relaxed by the State Govt. vide Notification No. EDN (TE)A(9)1/2012 dated 07.10.2013 which is as under;

*"It has come to the notice of the Government that a large no. of students have been admitted by various Private Universities, Colleges & Polytechnics in violations of the norms for admission fixed by the State Government. It has been accordingly decided to allow these institutions to retain such students admitted before 15.08.2013 to various courses of B.Tech. (Including Bio-Tech, Food Tech and Bio- info.) M.Tech., B.Pharma., M.Pharma, MBA and Diploma Courses subject to the minimum qualification prescribed by the AICTE and other regulatory bodies for the session 2013-14 as a onetime measure in the larger interest of the students/parents. However, such institutions shall be proceeded against for imposition of penalty for the violation committed by them by respective regulatory/affiliated bodies as per relevant provisions of law simultaneously. While doing this, such regulatory/affiliated bodies shall keep in view any order passed by the Hon'ble High Court or any other Court/ authorities including those in CWP No. 6170/2013 titled Un-aided Polytechnic Welfare Association Vs. State of HP and CWP No. 7688/2013 titled Himachal Private Universities Management Association Vs. State."*



#### 4. Uniform Academic Calendar:

The Regulatory Commission has ensured that institutions follows a uniform academic calendar as per UGC norms (90 teaching days per semester) with the semester duration (July to December) and (January to June), which was adopted after a due consultative process and collection of fees in two equal instalments at the beginning of each semester for all the private universities in the State and streamlined the process and prescribed timeline for advance approval of course/fees before commencement of academic session.

#### 5. Grievance Redressal:

The Grievance Redressal of students and parents is one of the vital functions of the Regulatory Commission. In this regard, the Commission has established/put in place the

Grievance Redressal mechanism and also issues public notices through print media from time to time for general awareness. Besides, notice board(s) have also been placed in every institution for information and awareness of students, parents. In addition, the Regulatory Commission has also developed an application

Grievances				
12				
Institute	Total Received	Disposed	Pending	Under Process
*Test University	2	0	2	0
APG University	5	2	3	0
Arni University	10	2	6	2
Baddi University	9	2	3	4
Bahra University	9	3	5	1
Chitkara University	5	3	0	2
Eternal University	2	0	2	0
HP University	1	0	1	0
ICEAI University	2	2	0	0
IEC University	2	1	0	1
Indus International University	4	1	3	0
J.P. University of Information Technology	4	0	3	1
Maharishi Markandeshwar University	1	0	1	0
Manav Bharti University	15	2	5	8
Others	65	15	21	29
<b>Total Grievances</b>	<b>136</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>48</b>

#### Snapshot of web enabled Grievances

#### Redressal Mechanism

for online redressal of grievances, where the grievances can be registered / submitted online and the same will be processed online and applicant without visiting the office will know the status of the grievance and action taken thereon.

The overall status of grievance(s) received against the different private higher educational institutions in the State and action taken thereof during the year 2013-14 is as under.

Total No. of grievance(s) received during the year 2013-14	Redressal through directive powers		Initiated proceedings U/S 11 of the HP-PERC, Act, 2010
	Disposed	Under process/pending decision	
25	12	13	0

The Regulatory Commission has ordered refund amounting to Rs. 2,65,700/- so far for violation of norms by the different private institutions after investigation and redressal of grievance received from the parents and students. Detail is as under.

<b>Name of Complainant</b>	<b>Nature of Complaint/ violation</b>	<b>Name of Institution</b>	<b>Amount Refunded</b>
Sh. Shivam Mahindro	Refund of Fee	IEC University	<b>Rs. 40250/-</b>
Sh. Rahul Prashar	Refund of Fee	APG University	<b>Rs. 56850/-</b>
Sh. Sachin Bishnoi	Refund of fee	--do--	<b>Rs. 50800/-</b>
Sh. Navdeep Singh	Refund of Fee	--do--	<b>Rs. 44400/-</b>
Sh. Yogesh Dhul	Refund of Fee	--do--	<b>Rs.44400/-</b>
Sh. Viskas Kaushal	Refund of Fee	Shoolini University	<b>Rs.29000/-</b>
<b>Total Refund</b>			<b>Rs. 2,65,700/-</b>

#### **6. Financing of Commission:**

Though the Regulatory Commission has been envisioned as a self financing mechanism. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8(a) of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, the Commission has notified regulation for levy of 1% of the total fees (except refundable securities) received by the private higher educational institutions in the State every year to be credited into the fund established by the Regulatory Commission for meeting expenses required in connection with the discharge of its functions under Section 9 of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 and also for meeting objects and the purposes authorised by the Act. Presently, there is a stay on the operation and implementation of Section 8(a) of the HP Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 dealing with the funds of the Regulatory Commission. Therefore, 1% of the fee collected by Universities could not be credited into the fund established by the Regulatory Commission.

#### **7. Inspections:**

To ascertain the standards of admission, teaching, examination, research, faculty and infrastructure being maintained by the institution in accordance with the Central/State Regulatory bodies norms and/or guidelines issued by the Central/State Government and compliance of statutory provisions as per Act/Statutes of the University from time to time, the Regulatory Commission under Section 9(4) of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, has notified the 'Inspection Schedule' for Private Higher Educational Institutions in the State to be conducted by the Commission itself or through 'Expert Committees' to be constituted for the purpose from

time to time. In this regard, inspections of the following Private Education Institutions were conducted by the Regulatory Commission during the year 2013-14 :-

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of University/Institution</b>	<b>Date of Inspection</b>
1.	Eternal University	03/05/2013 & 04/05/2013
2.	IEC University	06/05/2013
3.	Maharaja Agrasen University	07/05/2013
4.	Indus University	13/05/2013 & 14/05/2013
5.	Bahara University	20/05/2013
6.	Sri Sai University	03/06/2013 & 04/06/2013
7.	Career Point University	05/06/2013
8.	VSLM College	02/08/2013 & 03/08/2013
9.	Shoolini University	05/08/2013 & 06/08/2013
10.	APG University	05/08/2013 & 06/08/2013
11.	Bells Institute	07/08/2013 & 08/08/2013
12.	Jay Pee University	29/08/2013
13.	MM University	29/08/2013 & 30/08/2013

The purpose of these inspections were to ensure that norms of the Central Regulatory bodies are being observed in order to ensure that the standards for admission, examination, faculty etc. are being observed to maintain quality of education. For technical/professional subjects, the norms of AICTE or the concerned regulatory body are applicable, while the U.G.C. norms govern the norms for other departments, general regulations for award of degrees and minimum requirement for faculty etc.

The broad terms of reference of the Inspections carried out by the Commission were as under:

- a) To examine the admission process for courses approved and run, the number of students enrolled and the nature/schedule of fee charged.
- b) To examine the adequacy of the faculty in terms of prescribed strength (number)/ qualification and experience as per Regulatory norms.
- c) To review the level of infrastructure available for different courses and examine the adequacy for the conducting all technical courses.

- d) Standards of teaching in terms of syllabus, pedagogy, examination systems and evaluation process both at systemic and departmental levels.
- e) Issues of governance and statutory compliances under the University's Act/Statutes, Finance and Accounts.
- f) Operation of Fund (Verification of latest Bank account with the accounts maintained by the university).
- g) Research Programme:
1. Whether the programme is duly approved by the State Govt./Regulatory Commission Competent authority or not?
  2. Students enrolled under different disciplines (only in those universities whose Research Programme has not been reviewed).
  3. Whether the number of seats in each Department advertised in advance.
  4. Whether the Post graduate Department in such disciplines in which the students have been enrolled for M.Phil/Ph.D exists or not?
  5. Availability of infrastructure of research.

The follow-up directions were issued to the institution, not-complying with prescribed academic parameters and in case the institutions failed to comply with the directions issued by the Regulatory Commission penal action under section 11 of the H.P. Private Educational Institutions Regulatory Commission Act and Rules made thereunder were initiated against the institutions.

### 8. Implementation of RTI Act, 2005:

For implementation of the Right to Information Act, 2005, the Regulatory Commission has notified the following Public Information Officer and Appellate Authority.

Name	Designation	Telephone No.	
		Office/Mobile	Residence
<b>Appellate Authority</b>			
Mrs. Sarojini G.Thakur	Chairperson	0177-2629665 9418024455	0177-2627125
<b>Public Information Officer</b>			
Dr. Manoj Chauhan	Secretary	0177-2629663 9418044033	0177-2628533

The status of request for obtaining information under Section 6 of the Right to Information Act, 2005 during the year 2013-14 is as under.

No. of request / application(s) received	Replied	Transferred	Appeals
14	10	4 One Partially replies/transferred	Nil

\*\*\*\*\*

## CHAPTER-5

### PENALTIES IMPOSED ON VARIOUS DEFAULTING INSTITUTIONS AND STATUS OF LEGAL CASES IN THE HON'BLE COURTS

During the year 2013-14, the Regulatory Commission could not institute proceedings for major violations under Section 11 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 which provides for imposition of penalties for contravention of the provisions of the Act, Rules and regulations made there under initially due to partial stay on the operation and implementation of Section 11 of the above Act and final order in CWP No. 10140/2012 vide which the act incorporating Regulatory Commission was declared ultra-vires the Constitution of India.

Besides, status of Appeal/CWP filed by the different Institutions/Parties in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh is as under:

Sr. No.	CWP No.	Petitioner	Respondent	Status
1	7739/2013	Kanwal Preet Singh	HP University & Others	Judgment passed on 03.03.2014
2	1141/2013	Shiva Institute of Engg.	State of HP & Others	Judgment passed on 02.08.2013
3	4491/2013	Hitesh Thakur & another	HP-PERC & Baddi University	Judgment passed on 01.08.2013
4	7688/2013	HP-PUMA	State of HP & Others	Judgment passed on 23.07.2014.

\*\*\*\*\*

## **CHAPTER-6**

### **OTHER OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS**

Himachal Pradesh is the first State to set up a regulatory body for all private institutions imparting higher education above Senior Secondary (10+2) levels with a mandate to provide a regulatory mechanism in the State for Private Higher Educational Institutions and to work as an interface between the State Government and the Central Regulatory Bodies. During the year one important development in private higher education regulatory mechanism was the judgment rendered by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in CWP No. 10140/2012 whereby, the Himachal Pradesh Private University Management Association (H-PUMA) had challenged the constitutionality of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 as well as the Rules made thereunder by way of a writ petition before the High Court. The Hon'ble Higher Court of Himachal Pradesh in its judgement, dated 19.10.2013 had struck down the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 as ultra-vires the Constitution of India. However, pending further orders the Hon'ble Supreme Court of India in SLP (Civil) 36903/2013 has granted partial stay on the judgment dated 19.10.2013 in favour of the State/Commission and restored the status quo ante.

The Regulatory Commission has been working as a facilitator with private institutions in order to improve quality of education and constantly interacting with the stakeholder's regarding streamlining the process and building a vision for private higher education in the State. On the initiative of the Regulatory Commission, Mock AIEEE now JEE-main Test scheme for all Govt. Schools was evolved and administered through Department of Higher Education and implemented by all the State Private Universities with an objective to enhance the awareness level of students aspiring for engineering programs. In this endeavour, the State Private Universities have conducted off-line/on-line Mock tests in 600 Govt. Senior Secondary Schools teaching science at 10+2 level throughout the State benefitting majority of the students. As a result of enhanced awareness more than 65% of passed out students from HP Board had appeared in JEE Main 2014 examination.

With constant persuasion the universities have improved transparency and brought information on approved courses / fees, student's enrolment, faculty, infrastructure, academic regulations, course curriculum, etc. on the public domain through its websites. Besides, the Regulatory Commission has also developed an application for online redressal of grievances, where the grievances can be registered / submitted on line and the same will be processed online and applicant without visiting the office will know the status of the grievance and action taken thereon.

\*\*\*\*\*

## CHAPTER-7

### ACCOUNTS OF THE COMMISSION

The Regulatory Commission has been envisioned as a self financing mechanism. The Govt. of Himachal Pradesh has provided Rs. 70.00 lakhs as loan for its initial establishment during the year 2011-12. The Section 8(a) of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 provides for levy of maximum of 1% of the total fees collected by the private educational institutions for carrying out its various functions. This is apart from penalties. No further allocation of funds is made by the Commission as it has no subordinate offices. All the receipts and payments of the Commission were regulated through Commission's own Fund as established under the aforesaid Act. The Annual Accounts of the Commission for the year 2013-14 were prepared on the prescribed formats as contained in the Fund Rules. The accounts of the Commission are being prepared in the shape of Receipt and Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet. The Annual Accounts would be laid before the State Legislative Assembly after completion of audit in terms of requirement of Section 13(2) of the Act *ibid*.

**The Annual Accounts of the Regulatory Commission for the year 2013-14 is as under:**

S. No.	Particular	Amount in Rupees	
<b>1</b>	<b>Opening Balance</b>	SB A/c	<b>6389501.50</b>
		FD A/c	<b>15000000.00</b>
<b>2</b>	<b>Receipt</b>	U/S 8(a) of HPPER Act,2010	0.00
		Penalty/Fine	0.00
		Interest	627450.00
		Misc. Receipt + other	353864.00
<b>3</b>	<b>Total (1+2)</b>	<b>22370815.50</b>	
<b>4</b>	<b>Expenditure</b>	Capital Expenditure	97137.00
		Revenue Expenditure	8330495.00
<b>5</b>	<b>Advances to staff &amp; others</b>	15000.00	
<b>6</b>	<b>Total (4+5)</b>	<b>8442632.00</b>	
<b>7</b>	<b>Closing Balance (3-7)</b>	FDR Amount	10000000.00
		Savings A/C	3928183.50
<b>8</b>	<b>Total (6+7)</b>	<b>22370815.50</b>	

**Income & Expenditure for the year 2013-14:**


Expenditure		Income	
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Salary/Wages to staff	6789964.00	Misc. Receipt	244047.00
Medical Reimbursement	49371.00	Interest Received	627450.00
Stationery	21568.00		
Publication and Printing	34580.00		
Maintenance of Office Equipments	60877.00		
Travelling Expenses	110762.00		
Electricity and Water Charges	91582.00		
News papers, Books and Periodicals	11633.00		
Rent, Rates and Taxes	2529.00		
Vehicle Insurance A/c	66428.00		
POL Charges	175229.00		
Vehicle Maintenance	41220.00		
Telephone Expenses	134031.00		
Inspection Expenditures	346102.00		
Postage and Telegram	11000.00		
Professional and Special Services	246000.00		
Depreciation	494438.45		
Office Expenses	50251.00		
	0.00	Excess of Expenditure over Income	7866068.45
<b>Total</b>	<b>8737565.45</b>		<b>8737565.45</b>

**Balance Sheet as at 31.3.2014:**

Liabilities		Assets	
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Loan from the State Govt.	7000000.00	Furniture & Fixtures	712248.00
Excess of Expenditure over income	9777859.50	Electrical Equipments	157197.00
		Computers	114020.00
		Library Books	694.00
<b>Current Liabilities:</b>		Vehicles	1221102.00
	0.00	Advances outstanding	622592.00
		Pre-paid insurance	21823.00
		Fixed Deposit	10000000.00
		Cash at Bank	3928183.50
<b>Total</b>	<b>16777859.50</b>	<b>Total</b>	<b>16777859.50</b>

*(Figures are unaudited)*






Pie Diagram showing receipt and expenditure amount  
(in lakhs) for the year 2013-14

\*\*\*\*\*

# वार्षिक रिपोर्ट

## 2013-14



हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग

मजीठा हाउस कॉम्प्लेक्स, शिमला-171002

(वेबसाईट: [www.hp.gov.in/hpperc](http://www.hp.gov.in/hpperc))

## विषय—सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना ।	1—2
2	आयोग की संघटना ।	3—4
3	आयोग के कार्य एवं दायित्व ।	5—7
4	अधिनियम तथा जारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन ।	8—19
5	चूक करने वाली विभिन्न संस्थाओं पर लगाए गये दण्ड तथा माननीय न्यायालय में दायर मुकदमों की स्थिति ।	20
6	अन्य टिप्पणियां तथा सिफारिशें ।	21
7	आयोग के लेखे ।	22—24

## अध्याय-1

### प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 की अधिनियम संख्या 15) की धारा 3 के अधीन राज्य में विनियामक तंत्र उपलब्ध कराते हुए, प्रवेश, अध्ययन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम तथा निजी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु समुचित मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) नियम, 2011 में सेवा शर्तें, निदेशात्मक शक्तियां, निधि संचालन, दण्ड आदि अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न परिचालन पहलू शामिल किए गये हैं। इस अधिनियम के उपबन्ध अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित नियम अथवा आदेश वर्तमान समय में प्रचलित किसी अन्य विधि पर कोई असंगत प्रभाव नहीं डालेंगे।

विनियामक आयोग की भूमिका तथा कार्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित विधान, नियम तथा विनियम महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय हैं:-

- हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010: भारतीय गणतन्त्र के इक्सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा यह विधान प्रख्यापित किया गया, जिसके अन्तर्गत राज्य में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान तथा निजी उच्च शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा तथा एतद सम्बन्धी विषयों एवं आनुषंगिक मामलों के लिए समुचित मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विनियामक आयोग तथा विनियामक तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 तथा इसके अधीन बनाए गये नियम और विनियम।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानक स्थापित करना तथा उनका संचारण) विनियम, 2003।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल/पी.एच.डी. डिग्रियां प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 तथा इसके अधीन बनाए गये नियम एवं विनियम।
- अन्य राज्य/केन्द्रीय विनियामक निकायों के अधिनियम/नियम/विनियम जिनमें मानक एवं मापदण्ड निर्धारित किए गये हों तथा जिनका सम्बन्ध उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से हो।

**उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टि:** हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग, सरकार, केन्द्रीय विनियामक निकायों तथा संस्थाओं के सहयोग से गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अपनी भागीदारी निभा रहा है जिसके लिए निम्न दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है:-

**“हिमाचल प्रदेश को उच्च शिक्षा गुणवत्ता तथा विद्यार्थियों की पहली पसन्द वाला अभिज्ञात शिक्षा केन्द्र बनाना”**

**सार मूल्य:** विधान की परिधि के भीतर उच्च शिक्षा विजन की प्राप्ति के दृष्टिगत विनियामक आयोग निम्नलिखित सार मूल्य स्थापित करने हेतु वचनबद्ध है:-

- उच्च शिक्षा गुणवत्ता के प्रति 100% वचनबद्धता।
- पारदर्शिता।
- सत्यनिष्ठा।

\*\*\*\*\*

## अध्याय-2


### आयोग की संघटना

**आयोग का गठन:** हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या इ.डी.एन-ए-क-(3)-12/2009 दिनांक 27.07.2011 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवा निवृत्त श्रीमती सरोजिनी गंजू ठाकुर को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, उनकी कार्यग्रहण तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा जो भी पहले हो, विनियामक आयोग की संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. इ. डी.एन-ए-क-(3)-12/2009 दिनांक 02.07.2012 को प्रो. जगत भूषण नडडा को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्होंने इस पद पर दिनांक:-15/05/2013 तक कार्य किया ।

**आयोग का कर्मचारी वर्ग:** हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः दिनांक 20.07.2011 तथा 13.01.2012 को जारी अधिसूचना संख्या इ.डी.एन-ए-क-(3)-12/2009 के द्वारा प्रारम्भ में विभिन्न वर्गों के 27 पद सृजित किए गये। दिनांक 31.03.2014 तक स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

क्रम संख्या	पदों का वर्ग	स्वीकृत	भरे गये	रिक्त (31.03.2014)
1	अध्यक्षा	1	1	—
2	सदस्य	1	0	1
3	सचिव	1	1	—
4	परामर्शदाता	2	1	1
5	विधि अधिकारी	1	—	1
6	प्रोग्रामर	1	1	0
7	वित्त अधिकारी	1	1	—
8	निजी सचिव	1	—	1
9	निजी सहायक	3	1	2
10	वरिष्ठ सहायक	2	1	1
11	लिपिक	1	1	—
12	डीईओ	3	1	2
13	चालक	3	3	0
14	चतुर्थ श्रेणी	5	3	2
15	चौकीदार	1	—	1
<b>योग</b>		<b>27</b>	<b>15</b>	<b>12</b>

आयोग की संघटनात्मक संरचना:-



\*\*\*\*\*

### अध्याय-3

#### आयोग के कार्य एवं दायित्व

**आयोग की शक्तियां एवं कर्तव्य:** हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को अधिनियम के तहत निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- (1) आयोग का यह दायित्व होगा कि वह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, विस्तार कार्यक्रम, योग्य अध्यापकों तथा आधारभूत संरचना के मानक अपनाए जा रहे हैं। निर्धारित मानक न अपनाए जाने की स्थिति में आयोग का ऐसे शिक्षण संस्थाओं को अधिनियम की धारा 11 के अधीन दण्ड देने की शक्तियां प्राप्त होगी, किसी संस्था द्वारा बार-बार गलती किए जाने की स्थिति में आयोग को ऐसी संस्था को बन्द किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार/विनियामक निकाय को अपनी सिफारिश भेजने का अधिकार प्राप्त होगा।
- (2) आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दिया जा रहा है, किसी प्रकार की राष्ट्र स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय अथवा किसी अन्य सामान्य परीक्षा की व्यवस्था न होने की स्थिति में योग्यता का निर्धारण सुनिश्चित रूप से अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों पर आधारित होगा।
- (3) आयोग विद्यार्थियों तथा माता-पिता से प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु यथोचित तंत्र विकसित करेगा तथा निजी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश देगा कि आयोग को भेजी गई शिकायतों के निराकरण हेतु उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। ऐसी शिकायतों का निवारण आयोग द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर करना होगा एतद् सम्बन्धी किए गये उपायों का विस्तृत विवरण भी रखना होगा।
- (4) जब कभी भी आवश्यक हो आयोग, निजी शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण कर सकता है तथा ऐसे निरीक्षण किसी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से भी करवाए जा सकते हैं।
- (5) आयोग को निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की संवीक्षा करने का भी अधिकार प्राप्त होगा।



## आयोग की प्रक्रिया तथा शक्तियां:

- (1) आयोग को निम्नलिखित मामलों में इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी जाँच अथवा प्रक्रिया अपनाने के सम्बन्ध में वही शक्तियां प्राप्त होगी जो कि किसी सिविल न्यायालय को आचार दण्ड संहिता 1908 (1905 की 5) के अधीन प्राप्त हैं:—
  - (क) किसी व्यक्ति को बुलाने अथवा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उससे शपथ दिलाकर पूछताछ करना।
  - (ख) किसी दस्तावेज़ अथवा अन्य सामग्री को साक्ष्य के रूप में प्राप्त तथा प्रस्तुत करना।
  - (ग) शपथ-पत्र के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना।
  - (घ) किसी सार्वजनिक रिकार्ड को मांगना।
  - (ङ) गवाहों के परीक्षण हेतु आयोग के निर्देश जारी करना।
  - (च) निर्णयों, निदेशों तथा आदेशों को जारी करना।
  - (छ) कोई ऐसा अन्य मामला जो विहित हो।
- (2) आयोग को किसी कार्यवाही, सुनवाई अथवा मामले में अन्तरिम आदेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त होगी जो वह उचित समझे।
- (3) आयोग अपनी कार्यवाही के दौरान विद्यार्थियों तथा माता-पिता के हितों की पैरवी करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है जिसे वह उचित समझे।
- (4) इस अधिनियम के अधीन सभी विवादों का निर्णय आचार दण्ड संहिता, 1908 के आदेश XXXVII के प्रावधानों के अनुसार सरसरी तौर पर किए जायेंगे।

### दण्ड:

- (1) अधिनियम के किसी उपबन्ध अथवा इसके अधीन निर्मित नियमों अथवा विनियमों अथवा आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करने की स्थिति में आयोग दण्ड दे सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया हो, परन्तु ऐसे दण्ड की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

उपबन्धित है कि दूसरी बार अथवा बार-बार किए जाने वाले ऐसे उल्लंघनों की स्थिति में पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

इसके साथ ही यह भी उपबन्धित है कि सम्बन्धित संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गये दण्ड की राशि की वसूली सम्बन्धित शिक्षण संस्था की स्थायी निधि अथवा किसी अन्य निधि से भू-राजस्व के बकाए के रूप में की जायेगी।

अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करते हुए आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कार्य प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया है।

\*\*\*\*\*

## अध्याय-4

### अधिनियम तथा जारी किए गये आदेशों का कार्यान्वयन

विनियामक आयोग द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यों के निर्वहन हेतु हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 के अधीन न केवल संस्था की स्थापना हेतु पहल की गई अपितु प्रदेश की निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त जटिल शैक्षिक परिदृश्य के दृष्टिगत कम से कम समय में विभिन्न विनियामक प्रावधानों को कार्यान्वित करके विनियमों/पद्धति को भी विकसित किया है। विनियामक आयोग के अन्तर्गत किसी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर राज्य की सभी निजी शिक्षण संस्थाएं अर्थात् डिग्री कॉलेज, व्यावसायी शिक्षा महाविद्यालय, प्रबन्धन, विधि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मसी, पैरामेडिकल संस्थान एवं विश्वविद्यालय, विशिष्ट केन्द्र अथवा उच्च शिक्षा प्राप्ति से सम्बंधित कोई भी अन्य शैक्षिक संस्था शामिल हैं। विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य की लगभग 252 उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं जिनमें 16 राज्य निजी विश्वविद्यालय तथा 17 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज सम्मिलित हैं। राज्य की निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं का भौगोलिक विभाजन निम्न प्रकार से है:

जिला	विश्वविद्यालय	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन कॉलेज	पॉलिटेक्निक कॉलेज	बी.एड./ एम.एड./ बी.पी. एड कॉलेज	फार्मसी/ नर्सिंग/ होम्योपैथी/ डेंटल कॉलेज	डिग्री/ संस्कृत/ कानून और जैव विज्ञान कॉलेज	कुल
शिमला	1	1	-	10	3	12	27
चंबा	-	-	-	2	-	5	7
कांगड़ा	2	2	2	17	4	18	45
हमीरपुर	1	2	4	12	2	11	32
मंडी	-	4	6	19	4	7	40
सिरमौर	1	3	1	4	2	7	18
ऊना	1	2	3	4	2	15	27
बिलासपुर	-	1	-	2	1	5	9
सोलन	10	2	4	9	6	10	41
किन्नौर	-	-	-	1	-	-	1
लाहुल एवं स्पीति	-	-	-	-	-	-	0
कुल्लू	-	-	-	3	1	1	5
<b>योग</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>83</b>	<b>25</b>	<b>91</b>	<b>252</b>

उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में विनियामक मानक लागू करने की दिशा में पहले चरण में विश्वविद्यालयों पर अधिक बल दिया जा रहा है। विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित पहल की गई:-

### 1. पणधारियों से विचार-विमर्श:

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा कर रहा है, इसी के दृष्टिगत पणधारियों के साथ विचार-विमर्श प्रक्रिया आरम्भ की गई है ताकि संस्थाएं स्थापित करने, पाठ्यक्रमों/शुल्क का अनुमोदन, राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया एवं दृष्टि हेतु मानक तय करने सम्बन्धी आगामी उपाय अमल में लाए जा सकें।



पणधारियों के साथ परामर्श बैठक

### 2. कोर्स अनुमोदन और अकादमिक समीक्षा:

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मई, 2012 में HP-PERC को कोर्स अनुमोदन के लिए जिम्मेदार बनाने हेतु राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में एक संशोधन पेश किया। ऐसे अनुमोदन के लिए, संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक इसे अनिवार्य बनाने के लिए एक समय अनुसूची का प्रावधान किया गया। राज्य के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आरम्भ किए गये पाठ्यक्रमों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के आशय से आयोग द्वारा अनुमोदनों के सम्बन्ध में विस्तृत अकादमिक समीक्षा की गई तथा ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिनके सकांय, सरचना इत्यादि में कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्य पद्धति में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व स्थापित करने के उद्देश्य से निरंतर अनुनय एवं समीक्षा उपरान्त विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों, फीस, दाखिल किए गए छात्रों, संकाय, आधारभूत सरचना, अकादमिक विनियमन, पाठ्यक्रम, डिग्री प्रदान करने इत्यादि की जानकारी को उनकी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र को उपलब्ध करवाया गया है।

अकादमिक सत्र 2013-14 के दौरान राज्य के 16 निजी विश्वविद्यालयों द्वारा डिप्लोमा/स्नातकाधीन/स्नातक/स्नातकोत्तर/अनुसंधान कार्यक्रमों के अर्न्तगत 33 अभियांत्रिकी

शिक्षण तथा प्रबंधन/विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/विधि/औषधि निर्माण आदि के 59 अन्य पाठ्यक्रम चलाए गए, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	डिग्री / डिप्लोमा कार्यक्रम	इंजीनियरिंग	अन्य पाठ्यक्रम	कुल
1	अंडर ग्रेजुएट	12	23	35
2	पोस्ट ग्रेजुएट	16	25	41
3	अनुसंधान डिग्री	5	9	14
4	अन्य डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	0	2	2
<b>कुल स्थिति</b>		<b>33</b>	<b>59</b>	<b>92</b>

वर्तमान में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के साथ-साथ नए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन निम्न शर्तों एवं निबन्धन के अनुसार था, कि :

(क) विश्वविद्यालय योग्यता मानदंड, निर्देशों के न्यूनतम मानकों की अनुपालना तथा पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों/डिग्री प्रदान करने हेतू निर्धारित मापदंड जो यथावत योग्यता प्राप्त अध्यापन वर्ग द्वारा प्रदान की जाए तथा यथावत उपयुक्त आधारभूत संरचना की सुविधा जैसी सम्बन्धित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित की गई हो ।

(ख) अकादमिक संरचना तथा अन्य सुविधाएं जैसे प्रयोगशाला, उपकरण तथा कम्प्यूटर सम्बन्धित निकाय द्वारा निर्धारित मापदंडों अनुसार, उस समय जब प्रोस्पेक्टस (पत्रिका) छात्रों को जारी किए जाने हेतू तैयार हो, उपलब्ध होने चाहिए।

(ग) प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए उपलब्ध आवश्यक अकादमिक आधारभूत संरचना जैसे प्रयोगशाला आदि का उल्लेख प्रोस्पेक्टस में हो। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदित सीटों के उल्लेख के साथ-साथ आरक्षित सीट/अनुमोदित फीस संरचना/प्रवेश अनुसूची तथा प्रवेश के मापदंडों का उल्लेख भी हो।

(घ) पारिभाषिक नाम तथा पाठ्यक्रम/डिग्री/कार्यक्रम की अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य नियामक निकाय के अनुरूप होनी चाहिए।

(ङ) सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानक स्थापित करना तथा उनका संचारण) विनियम, 2003 की धारा 3.7 व 3.8 के अन्तर्गत आपेक्षित सभी सूचनाएं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध करवाएं तथा विषयों के साथ-2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नए पाठ्यक्रमों की सूचना, आरम्भ किए जाने से छः माह पूर्व उपलब्ध करवाएं। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निरीक्षण विलंबित हो तो विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे की सभी आवश्यक सूचनाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शीघ्र निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाई जाए ताकि निरीक्षण सुनिश्चित हो सके ।

(च) बी0टैक तथा एम0बी0ए0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्रमशः जे0ई0ई0(मुख्य) तथा सी0एम0ए0टी0 अथवा प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।

(छ) जहां लागू हो, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की प्रत्यायन हेतु आवश्यक पग उठाएंगे जो छात्रों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ विश्वस्नीयता में भी बढ़ावा करेगी। आयोग को इस दिशा में हुई प्रगति से समय-समय पर अवगत करवाया जाए।

(ज) विश्वविद्यालयों को, आयोग द्वारा समय-2 पर दिए गए निर्देशानुसार अपनी वैबसाइट को छात्रों तथा आम लोगों की जानकारी के लिए अपडेट करते रहना होगा। विनियामक आयोग द्वारा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके अन्य पहलुओं सहित जैसे प्रवेश, भर्ती किए गए छात्र, परीक्षा, संकाय तथा अकादमिक संरचना आदि से सम्बन्धित सूचना जिस रूप में चाही गई हो, आयोग को समय-समय पर उपलब्ध करवानी होगी।

(झ) जहां किसी पाठ्यक्रम में छात्रों का अंतर्ग्रहण, स्वीकृत अंतर्ग्रहण से 20 प्रतिशत कम हो तो विश्वविद्यालय का अकादमिक विनियमन विधार्थियों को स्थानान्तरण का विकल्प प्रदान करेगा, यदि पहले ऐसा कोई प्रावधान न हो।

(ञ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानक स्थापित करना तथा उनका संचारण) विनियम, 2003 का कड़ाई से पालन करना होगा।

(त) अकादमिक सत्र 2013-14 के वर्तमान/नए पाठ्यक्रमों की फीस अनुमोदन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को निर्धारित समय एवं शैली में प्रस्तुत करना होगा।

(थ) यदि उपलब्ध करवाई गई सूचना किसी भी अवस्था में गलत पाई गई अथवा सभी पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित संकाय व आधारभूत संरचना को पूरा करने से सम्बन्धित आश्वासन अथवा प्रवेश के मानकों का उल्लंघन, निर्धारित फीस से अधिक फीस का वसूलना अथवा ऐसे आचरण में सम्मिलित होना जो निर्धारित विनियमन के अनुरूप न हो, आयोग, अनुमोदन को वापिस लेने तथा ऐसी कार्यवाही करने जो उचित लगे, का अधिकार रखता है।

अकादमिक सत्र 2013-14 के दौरान प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाली पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की स्थिति तथा दाखिल किए गये छात्रों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	दाखिल किए गये छात्र		कुल दाखिल किए गये छात्र
		इंजीनियरिंग	अन्य	
1	ए पी जी विश्वविद्यालय, शिमला।	170	196	366
2	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय।	244	147	391
3	अर्नो विश्वविद्यालय, कांगड़ा।	99	216	315
4	बढ़ी विश्वविद्यालय, सोलन।	523	51	574
5	बाहरा विश्वविद्यालय, सोलन।	227	93	320
6	कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय, हमीरपुर।	57	28	85

7	चित्तकारा विश्वविद्यालय, सोलन।	855	2	857
8	इटरनल विश्वविद्यालय, बडू साहिब, सिरमौर।	60	198	258
9	आई ई सी विश्वविद्यालय, सोलन।	131	100	231
10	इंडस विश्वविद्यालय, ऊना।	47	50	97
11	जे पी विश्वविद्यालय, सोलन।	408	0	408
12	मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन।	77	0	77
13	एम एम विश्वविद्यालय, सोलन।	21	33	54
14	शूलिनी विश्वविद्यालय, सोलन।	319	141	460
15	श्री साई विश्वविद्यालय पालमपुर।	130	76	206
16	इकफाई विश्वविद्यालय, सोलन।	14	11	25
	<b>कुल</b>	<b>3382</b>	<b>1342</b>	<b>4724</b>

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा मूल रूप से इंजीनियरिंग/तकनीकी पाठ्यक्रमों पर अधिक बल दिया जा रहा है जहां तक प्रबन्धन, फार्मैसी, होटल प्रबन्धन, विज्ञान तथा कला विषयों का सम्बन्ध है इनकी ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा राज्य में निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त अनुसंधान कार्यक्रमों की संवीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया जो निम्न विचारार्थ विषयों हेतु है तथा विश्वविद्यालयों को यह भी निर्देश दिए गये हैं कि वे सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर करते हुए अपने कार्यक्रमों का निर्धारण अपेक्षाकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2009, के अनुरूप बनाए। अनुसंधान कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु निम्न विचारार्थ विषय/मापदण्ड थे:

- 1 न्यूनतम मानको की पूर्ति हेतु प्रवेश, पात्रता/पर्यवेक्षकों के आवंटन मानक, आन्तरिक संकाय की उपलब्धता, पाठ्यक्रम कार्य के अनुसरण की शर्तें तथा आंकलन प्रणाली के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अन्तर्गत निर्धारित है, के अनुसार है।
- 2 यह सुनिश्चित करना कि क्या विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुरूप है अथवा नहीं ?
- 3 यह जांच करना कि एम.फिल/पी.एच.डी पाठ्यक्रमों के लिए वसूल की गई फीस अधिकृत प्राधिकारी से अनुमोदित है या नहीं तथा एम.फिल/पी.एच.डी पाठ्यक्रमों के लिए आन्तरिक शिक्षक उपलब्ध करवाए गए है अथवा नहीं ?

- 4 यह जांच करना कि अनुसंधान विकास समिति गठित की गई है अथवा नहीं ?
- 5 कोई अन्य बिन्दु/सुझाव जो राज्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे एम.फिल/पी.एच.डी पाठयक्रमों से जुड़े हों ?

इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा विश्वविद्यालय की अनुसंधान गतिविधियों में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव तथा विभिन्न संरक्षण उपाय अनुशासित किए गये।

**(क)** नए पी.एच.डी पाठयक्रम केवल उन्ही विषयों में आरम्भ किए जाने चाहिए जहां मजबूत शिक्षक आधार हो। साधारणतः नए पी.एच.डी पाठयक्रम केवल तभी आरम्भ किए जाने चाहिए जब सम्बन्धित विषय में मास्टर पाठयक्रम आरम्भ हुए कम से कम तीन वर्ष हो चुके हो। सभी विषयों में सामाजिक विज्ञान, मानविकी अथवा प्रबन्धन अथवा बुनियादि विज्ञान, अध्यापन का स्तर, पुस्तकालय तथा INFLIBNET के माध्यम से इन्टरनेट सुविधा से जुड़ाव इत्यादि का भी परीक्षण किया जाना चाहिए तथा बुनियादी विज्ञान के सम्बन्ध में न्यूनतम सख्यां में प्रयोगशालाओं कार्य करना, औजारों तथा संकाय का मौका पर ही सत्यापन होना चाहिए। इन संस्तुतियों का मूल्यांकन ही नए पाठयक्रमों के अनुमोदन का आरम्भिक बिन्दु होना चाहिए। वर्तमान तथा अनुमोदित पाठयक्रमों के लिए न्यूनतम आधारभूत संरचना हेतु पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि मूल्यांकन किया जा सके कि क्या पाठयक्रम वास्तव में व्यावहारिक है अथवा वर्तमान में चल रहे हैं।

**(ख)** सभी पी.एच.डी पाठयक्रम तथा इन से सम्बन्धित प्रक्रिया अकादमिक तथा छात्र केन्द्रित होनी चाहिए। विधार्थियों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान होना चाहिए जिससे अनुसंधान गुणवत्ता सुनिश्चित होगी तथा विश्वविद्यालयों के मात्र राजस्व बढ़ोती कार्य पर भी नियन्त्रण रहेगा। यह एकरूपता सभी विश्वविद्यालयों पर प्रयुक्त/लागू होनी चाहिए।

**(ग)** शिक्षक के लिए अध्यापन सुधार कार्यक्रम और अवरोधन नीति का न होना। हालांकि यह एक सर्वव्यापी तथ्य है कि एक अनुभवी व्यक्ति बेहतर विकल्प की ओर जाएगा किन्तु निजी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में शिक्षको का एक संस्थान से दूसरे में नियमित बदलना छात्रों के हित को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि नया संस्थान, पूर्व विश्वविद्यालयों में पर्जीकृत छात्रों के पी.एच.डी मार्गदर्शन को जारी रखने की अनुमति हितों में मतभिन्नता के कारण प्रदान नहीं करते हैं।

**(घ)** अन्य संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में संयोजन स्थापित किया जाना चाहिए।

**(ङ)** शिक्षक के पास परियोजनाओं के रूप में बाहरी वित्तीय सहायता का पर्याप्त अनुभव हो। जिसका प्रयोग अनुसंधान सुविधाओं के विकास हेतु होना चाहिए तथा अध्येतावृत्ति के रूप में योग्य विधार्थियों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार के उपायों से विश्वविद्यालयों के अनुसंधान कार्य में बढ़ावा होगा।



(च) विद्यार्थियों की अर्ध-वार्षिक प्रस्तुतीकरण की प्रगति की परीक्षा तथा शोध प्रबन्ध की पूर्व प्रस्तुति रखी जानी चाहिए ।

(छ) RDC की बैठक की नरम प्रतियां, अनुमोदित सार, सार और थीसिस वेबसाईट पर पोस्ट की जानी चाहिए और पिछली दो HPPERC और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

### 3. प्रवेश मानदण्ड:

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 में प्रावधान किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दिया जाए। किसी प्रकार की राष्ट्र स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय अथवा किसी अन्य सामान्य परीक्षा की व्यवस्था न होने की स्थिति में योग्यता का निर्धारण सुनिश्चित रूप से अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों पर आधारित होगा। अतः प्रवेश मानदंडों, विशेष रूप से व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश विनियमित करने तथा राज्य में एक समान प्रतितुलनीय प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार के तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश स्तरीय योग्यताएं AICTE द्वारा स्थापित मानदंडों से कम नहीं होगी तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गये हैं इस आवश्यकता को पहले ही अपनी वेबसाईट तथा आगामी अकादमिक सत्र की विवरण-पत्रिका में अधिसूचित करें। आयोग द्वारा प्रवेश मापदण्ड को कारगर बनाते हुए सभी निजी विश्वविद्यालयों में योग्यता पर आधारित प्रवेश सुनिश्चित करते हुए एतद् सम्बन्धी सूचना न केवल आयोग को अपितु सभी वर्ग के लोगों की सूचना हेतु उनके वेबसाईट पोर्टलस में आवश्यक रूप में शामिल करने के निर्देश भी दिए गये हैं ।

राज्य सरकार द्वारा अकादमिक सत्र 201314 में निर्धारित किए गए प्रवेश मानदण्ड निम्न प्रकार थे:

क्रम सख्यां	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानदण्ड
1	बी0 टैक	जे0ई0ई0/तीन विषयों में 65 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 60 प्रतिशत)
2	एम0टैक	राज्य/केन्द्र स्तर का सामूहिक प्रवेश परीक्षा
3	एम0बी0ए0	राज्य/केन्द्र स्तर का सामूहिक प्रवेश परीक्षा
4	एम0सी0ए0	राज्य/केन्द्र स्तर का सामूहिक प्रवेश परीक्षा
5	एम0फार्मा व बी0फार्मा	राज्य/केन्द्र स्तर का सामूहिक प्रवेश परीक्षा
6	बी0 आर्क	एन.ए.टी.ए.

राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त मानदण्ड में अधिसूचना सख्यां ई.डी.एन.(टी.ई.)ए(9)1/2012 दिनांक: 07/10/2013 द्वारा रियायत प्रदान की गई, जो निम्न प्रकार है:

“सरकार के ध्यान में आया है कि विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा पॉलीटेकनिक संस्थानों ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए बढी सख्यां में विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन संस्थानों को ऐसे छात्र जिन्हें बी0टैक (बायो टैक, फूड टैक तथा बायो ईनफो सहित) एम0टैक, बी0फार्मा विषय में 15/08/2013 से पहले प्रवेश प्रदान किया गया है, को रखने की अनुमति छात्रों/अभिभावकों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एक बार उपाय के तहत प्रदान इस शर्त पर कि जाए कि सम्बन्धित छात्र सत्र 2013-14 हेतु ए.आई.सी.टी.ई. अथवा अन्य सम्बद्ध निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करते हों। यद्यपि, सम्बन्धित विनियामक/सम्बद्ध निकाय को, ऐसे संस्थानों के विरुद्ध उन द्वारा की गई उल्लंघन हेतु सम्बन्धित कानून के विधान के अनुसार दण्ड अधिरोपित करना होगा। ऐसा करते समय सम्बन्धित विनियामक/सम्बद्ध निकाय, माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा सी.डब्ल्यू.पी. सख्यां 6170/2013 शीर्षक असहायता प्राप्त पॉलीटेकनिक कल्याण सघं बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य तथा सी.डब्ल्यू.पी. सख्यां 7688/2013 शीर्षक हि0 प्र0 निजी विश्वविद्यालय प्रबन्ध सघं बनाम राज्य, में पारित आदेशों को ध्यान में रखा जाये।

#### 4. एक समान अकादमिक कलैन्डर:

विनियामक आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार एक समान अकादमिक कलैन्डर का अनुसरण करता है जिसके अनुसार (प्रत्येक समेस्टर के लिए 90 अध्यापन दिवस) तथा (जुलाई से दिसम्बर) तथा (जनवरी से जून) निश्चित की गई है, राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय समयक विचार-विमर्श के पश्चात प्रत्येक समेस्टर के आरम्भ में दो समान किस्तों में फीस वसूल करेंगे तथा अकादमिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व पाठ्यक्रम/फीस सम्बन्धि अनुमोदन निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्रिम रूप में तय करेंगे।

#### 5. शिकायत निवारण:

विद्यार्थियों एवं माता-पिता की शिकायतों का निवारण विनियामक आयोग के कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा सामान्य जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है तथा इसकी सूचना

Grievances					
Institute	Total Received	Disposed	Pending	Under Process	
Tad University	2	0	2	0	
APJ University	5	2	3	0	
Am University	10	2	6	2	
Rajal University	9	2	3	4	
Bahra University	9	3	5	1	
Chikara University	5	3	0	2	
Ram Lal University	2	0	2	0	
HP University	1	0	1	0	
KJ Somaiya University	2	2	0	0	
ISC University	2	1	0	1	
Indus International University	4	1	3	0	
J.P. University of Information Technology	4	0	3	1	
Madhav Mahasabhar University	1	0	1	0	
Manav Bharti University	15	2	5	8	
Others	65	15	21	29	
<b>Total Grievances</b>	<b>136</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	

वेब पर शिकायतों के निवारण तंत्र का आशुचित्र

प्रिंट मिडिया के माध्यम से भी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों तथा माता-पिता को जागरूक करने तथा सूचना के लिए प्रत्येक संस्था में नोटिस बोर्ड भी लगाए गये हैं। इसके साथ-साथ, नियामक आयोग ने शिकायतों के निपटारे हेतु ऑनलाइन सुविधा विकसित की है जहां शिकायतें ऑनलाइन पंजीकृत/प्रस्तुत की जा सकती है जिसे ऑनलाइन ही संसाधित किया जाएगा व आवेदक को कार्यालय का दौरा किए बिना ही शिकायत की स्थिति व उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होगी।

वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें	निदेशात्मक शक्तियों के द्वारा शिकायत निवारण		हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 11 के अधीन की गई कार्यवाही
	निपटाई गई शिकायतें	प्रक्रियाधीन / लंबित	
25	12	13	0

विभिन्न निजी संस्थाओं द्वारा किए गए मानदंडों का उल्लंघन के लिए, माता पिता और छात्रों से मिली शिकायत के निवारण और जांच के बाद विनियामक आयोग द्वारा रु 2,65,700/- की राशि को वापिस करने का आदेश दिया गया। विवरण निम्नानुसार है:

शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत/उल्लंघन की प्रकृति	संस्था का नाम	वापिस की गई राशि
श्री शिवम महेंद्रू	शुल्क की वापसी	आई इ सी विश्वविद्यालय	रु 40250/-
श्री राहुल पराशर	शुल्क की वापसी	ए पी जी विश्वविद्यालय	रु 56850/-
श्री सचिन बिशनोई	शुल्क की वापसी	ए पी जी विश्वविद्यालय	रु 50800/-
श्री नवदीप सिंह	शुल्क की वापसी	ए पी जी विश्वविद्यालय	रु 44400/-
श्री योगेश धुल	शुल्क की वापसी	ए पी जी विश्वविद्यालय	रु 44400/-
श्री विकास कौशल	शुल्क की वापसी	शूलिनी विश्वविद्यालय	रु 29000/-
<b>कुल वापिस की गई राशि</b>			<b>रु 2,65,700/-</b>

## 6. आयोग का वित्तप्रबन्ध:

यद्यपि, विनियामक आयोग को स्वतः वित्ततंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। अतः आयोग द्वारा हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हि.प्र. निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 के अधीन उसे सौंपे गये कार्यों के निर्वहन तथा उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य में स्थापित निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जाने वाली कुल फीस (वापिस की जाने वाली प्रतिभूति राशि को छोड़कर) का 1% भाग विनियामक आयोग द्वारा स्थापित निधि में जमा करने हेतु विनियम अधिसूचित किए गये हैं। वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8(ए) जो विनियामक आयोग के निधि से सम्बन्धित है, के प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा रखी है। अतः विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त की गई फीस का 1 प्रतिशत विनियामक आयोग द्वारा स्थापित की गई निधि में जमा नहीं किया जा सका।

## 7. निरीक्षण:

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 (4) के अधीन विनियामक आयोग द्वारा प्रवेश के मानक, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, संकाय तथा केन्द्र/राज्य विनियामक निकायों द्वारा स्थापित मानदण्डों तथा/अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियम/विनियमों के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य की निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए "निरीक्षण सारणी" अधिसूचित की गई है, ऐसे निरीक्षण आयोग द्वारा स्वयं अथवा इस प्रयोजन हेतु समय-समय पर गठित की जाने वाली 'विशेषज्ञ समिति'के माध्यम से किए जाते हैं। इस संदर्भ में, सत्र 2013-14 के दौरान विनियामक आयोग द्वारा निम्न निजी शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया गया:-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	इंटरनल विश्वविद्यालय, बडू साहिब, सिरमौर।	03/05/2013 & 04/05/2013
2	आई ई सी विश्वविद्यालय, सोलन।	06/05/2013
3	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय।	07/05/2013
4	इंडस विश्वविद्यालय, ऊना।	13/05/2013 & 14/05/2013
5	बाहरा विश्वविद्यालय, सोलन।	20/05/2013
6	श्री साई विश्वविद्यालय पालमपुर।	03/06/2013 & 04/06/2013
7	कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय, हमीरपुर।	05/06/2013
8	वी एस एल एम कॉलेज।	02/08/2013 & 03/08/2013

9	शूलिनी विश्वविद्यालय, सोलन ।	05/08/2013 & 06/08/2013
10	ए पी जी विश्वविद्यालय, शिमला ।	05/08/2013 & 06/08/2013
11	बैल्स इंस्टीट्यूट, मेहली, शिमला ।	07/08/2013 & 08/08/2013
12	जे पी विश्वविद्यालय, सोलन ।	29/08/2013
13	एम एम विश्वविद्यालय, सोलन ।	29/08/2013 & 30/08/2013

इन निरीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा केन्द्रीय विनायमक निकाय के मानदण्डों की अनुपालना की जा रही है जिससे यह सुनिश्चित हो कि शिक्षण गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रवेश, परीक्षा, शिक्षा इत्यादि के मानदण्डों का अनुसरण किया जा रहा है। तकनीकी/व्यावसायिक विषयों हेतु ए.आई.सी.टी.ई अथवा अन्य सम्बन्धित विनियामक निकाय के मानक लागू हैं, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक अन्य विभागों के मानकों, डिग्री प्रदान करने के लिए सामान्य नियामक तथा शिक्षकों के लिए न्यूनतम आवश्यकता इत्यादि को संचालित करते हैं।

**आयोग द्वारा किए गए निरीक्षणों का व्यापक कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार था:**

(क) अनुमोदित तथा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया, छात्रों की उल्लिखित सख्यां तथा प्राप्त की जा रही फीस का स्वरूप/समय सारणी का परीक्षण करना।

(ख) विनियामक मानकों के अनुसार निर्धारित सख्यां/योग्यता तथा अनुभव के संबंध में शिक्षकों की उपयुक्तता का परीक्षण।

(ग) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध संरचना के स्तर की समीक्षा तथा सभी पाठ्यक्रमों के संचालन की पर्याप्तता का परीक्षण।

(घ) पाठ्यक्रम, अध्यापन, परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में अध्यापन का स्तर दोनों सर्वांगी तथा विभागीय स्तर पर का परीक्षण।

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिनियम/संविधि, वित्त एवं लेखा के अधीन संचालन के मुद्दों तथा संवैधानिक अनुपालनाएं।

(च) निधि का संचालन (बैंक खाते का विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए खाते से सत्यापन)

(छ) अनुसंधान पाठ्यक्रम:

1. क्या पाठ्यक्रम राज्य सरकार/विनियामक आयोग/सक्षम प्राधिकारी से यथावत अनुमोदित है अथवा नहीं ?
2. विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत उल्लिखित छात्र (केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों में जिनके अनुसंधान पाठ्यक्रम की समीक्षा नहीं की गई )
3. क्या प्रत्येक विभाग में सीटों की सख्यां का विज्ञापन अग्रिम रूप में किया गया।
4. क्या ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें एम.फिल/पी.एच.डी. हेतु छात्र उल्लिखित किए गए हैं के स्नातकोत्तर विभाग है अथवा नहीं ?

5. अनुसंधान हेतु आधारभूत संरचना की उपलब्धता ।

निर्धारित अकादमिक मापदण्डों की पालना न करने वाले संस्थानों को इन मापदण्डों के अनुसरण के निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा जो संस्थान इन मापदण्डों का पालन करने में असफल रहें उनके विरुद्ध, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम की धारा 11 तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों अनुसार दण्डनीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

**8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन:**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के लिए विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी अधिसूचित किए गये हैं:-

नम	पदनाम	टेलीफोन नंबर	
		कार्यालय / मोबाइल	निवास
<b>अपीलीय प्राधिकारी</b>			
श्रीमती सरोजनी ठाकुर	अध्यक्षा	0177-2629665 9418024455	0177-2627125
<b>जन सूचना अधिकारी</b>			
डॉ. मनोज चौहान	सचिव	0177-2629663 9418044033	0177-2628533

वर्ष 2013-14 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अधीन मांगी गई सूचना की स्थिति नीचे दी जा रही है:-

प्राप्त आवेदनों/अनुरोधों की संख्या	उत्तर	हस्तांतरित	अपील
14	10	4 एक का आंशिक रूप से उत्तर/हस्तांतरित	शून्य

\*\*\*\*\*

## अध्याय-5

### चूक करने वाली विभिन्न संस्थाओं पर लगाए गये दण्ड तथा माननीय न्यायालय में दायर मुकदमों की स्थिति।

विनियामक आयोग वर्ष 2013-14 के दौरान हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 11 जिसके अन्तर्गत अधिनियम में किए गए प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन किए जाने पर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था की गई है, के अन्तर्गत कार्यवाही उक्त अधिनियम की धारा 11 के परिचालन एवं कार्यान्वयन पर आंशिक रोक तथा सी. डब्ल्यू.पी. संख्या 10140/2012 पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश जिसके अन्तर्गत अधिनियम जिसमें विनियामक आयोग समाविष्ट है को भारत के संविधान के अनुसार अधिकारातीत घोषित किया गया है, के फलस्वरूप जुर्माना नहीं कर सका।

इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं/पार्टीज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई पुनरावेदन/ सी.डब्ल्यू.पी. की स्थिति निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	मामला संख्या	निवेदक	प्रतिवादी	अन्तिम आदेश
1	7739/2013	कंवल प्रीत सिंह	हि. प्र. विश्वविद्यालय और अन्य।	03.03.2014 को फैसला पारित।
2	1141/2013	शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग।	हिमाचल प्रदेश और अन्य।	02.08.2013 को फैसला पारित।
3	4491/2013	हितेश ठाकुर व अन्य।	हि.प्र. निजी शिक्षण संस्थान व बददी विश्वविद्यालय।	01.08.2013 को फैसला पारित।
4	7688/2013	HP-PUMA	हिमाचल प्रदेश और अन्य।	23.07.2014 को फैसला पारित।

\*\*\*\*\*

## अध्याय-6

### अन्य टिप्पणियां तथा सिफारिशें

हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, जो वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (10+2) से उपर की उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, के लिए इस उद्देश्य से कि राज्य में सभी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में नियामक प्रक्रिया उपलब्ध हो तथा राज्य सरकार व केन्द्रीय नियामक निकायों के बीच एक अंतराफलक के रूप में कार्य करें, एक नियामक निकाय स्थापित किया है। वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा नियामक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विस्तार हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No 10140/2012 जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी विश्वविद्यालय प्रबन्धन संघ (H-PUMA) ने हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की संवैधानिकता को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी, पर निर्णय रहा। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले दिनांक 19/10/2013 द्वारा हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 को असंवैधानिक घोषित किया था। हालांकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने लम्बित SLP(Civil) 36903/2013 पर दिनांक 19/10/2013 के फैसले पर आंशिक रोक लगाते हुए राज्य/आयोग के पक्ष में यथापूर्व स्थिति बहाल की है।

नियामक आयोग निजी संस्थानों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को ओर बेहतर बनाने हेतु सुविधा प्रदायक के रूप में भी कार्य कर रहा है तथा इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने व राज्य में निजी उच्च शिक्षा के लिए दृष्टिकोण निर्माण हेतु लगातार हितधारकों के सम्पर्क में है। नियामक आयोग की पहल पर सभी सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से एक Mock AIEEE (अब JEE मुख्य परीक्षा) योजना कार्यान्वित की गई जिसे सभी निजी विश्वविद्यालयों द्वारा इस उद्देश्य से अमल में लाया गया कि इंजीनियरिंग के इच्छुक छात्रों में जागरूकता स्तर बढ़ाया जाए। आयोग के इस प्रयास से राज्य के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा 600 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 10+2 स्तर पर पढ रहें विज्ञान के छात्रों के लिए ऑफ-लाईन/ऑन-लाईन मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया। जागरूकता बढ़ाने के परिणाम फलस्वरूप, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से उत्तीर्ण हुए 65% से अधिक छात्रों ने जेईई मुख्य परीक्षा 2014 में भाग लिया।

नियमित प्रोत्साहन के फलस्वरूप, विश्वविद्यालयों द्वारा पारदर्शिता में सुधार किया गया है तथा अनुमोदित पाठ्यक्रम/फीस, छात्र के नामांकन, संकाय, बुनियादी सुविधाओं, शैक्षिक नियमों, पाठ्यक्रम इत्यादि के विषय में जानकारी अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक की गई। इसके अतिरिक्त, नियामक आयोग ने शिकायतों के निपटारे हेतु ऑनलाइन सुविधा विकसित की है जहां शिकायतें ऑनलाइन पंजीकृत/प्रस्तुत की जा सकती है जिसे ऑनलाइन ही संसाधित किया जाएगा व आवेदक को कार्यालय का दौरा किए बिना ही शिकायत की स्थिति व उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होगी।

\*\*\*\*\*



**अध्याय-7**  
**आयोग के लेखे**

विनियामक आयोग की परिकल्पना एक स्वतः वित्तपोषण तंत्र के रूप में की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसकी प्रारम्भिक स्थापना हेतु वर्ष 2011-12 के दौरान 70.00 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (क) के अधीन आयोग को अपने विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कुल फीस पर 1% शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा निधि का आगे आबंटन नहीं किया जाता क्योंकि इसके कोई भी अधीनस्त कार्यालय नहीं हैं। आयोग की सभी प्रकार की प्राप्तियां तथा भुगतान उपरोक्त अधिनियम के अधीन स्थापित आयोग निधि के द्वारा विनियामित की जाती है। आयोग के वर्ष 2013-14 के लेखे निधि नियमों में विहित प्रपत्रों पर तैयार किए गये हैं। आयोग के लेखे, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनापत्र के रूप में तैयार किए जाते हैं। वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा के उपरान्त राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे जैसा कि अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन वांछित है।

**विनियामक आयोग के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखे निम्न प्रकार से है:**

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रूपये में)	
1	अधशेष	बचत खाता	<b>6389501.50</b>
		एफ डी	<b>15000000.00</b>
2	प्राप्तियां	हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (क) के अधीन	0.00
		दंड/जुर्माना	0.00
		ब्याज	627450.00
		विविध प्राप्तियां	353864.00
3	<b>कुल(1+2)</b>	<b>22370815.50</b>	
4	व्यय	पूंजीगत व्यय	97137.00
		राजस्व व्यय	8330495.00
5	अग्रिम	15000.00	
6	<b>कुल(4+5)</b>	<b>8442632.00</b>	
7	अंत शेष (3-7)	एफ.डी	10000000.00
		बचत	3928183.50
8	<b>कुल(6+7)</b>	<b>22370815.50</b>	


वर्ष 2013-14 का आय और व्यय लेखा:

व्यय		आय	
विवरण	राशि (रूपये में)	विवरण	राशि (रूपये में)
स्टाफ का वेतन और मजदूरी	6789964.00	विविध प्राप्तियां	244047.00
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	49371.00	अर्जित ब्याज	627450.00
स्टेशनरी	21568.00		
प्रकाशन एवं मुद्रण	34580.00		
कार्यालय उपकरणों का रखरखाव	60877.00		
यात्रा भत्ता	110762.00		
बिजली और जल प्रभार	91582.00		
समाचार पत्र, किताबें एवं नियमित पत्रिकाएं	11633.00		
कर, किराया एवं उपकर	2529.00		
वाहन बीमा	66428.00		
पीओएल प्रभार	175229.00		
मोटर वाहन के रखरखाव	41220.00		
टेलीफोन प्रभार	134031.00		
निरीक्षण प्रभार	346102.00		
डाक एवं तार	11000.00		
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	246000.00		
कटौती	494438.45		
कार्यालय व्यय	50251.00		
	0.00	आय से अधिक व्यय	7866068.45
<b>कुल</b>	<b>8737565.45</b>	<b>कुल</b>	<b>8737565.45</b>

31.03.2014 तक का तुलन पत्र:

दायित्व		परिसम्पतियां	
विवरण	राशि (रूपये में)	विवरण	राशि (रूपये में)
राज्य सरकार से ऋण	7000000.00	फर्नीचर और फिक्सचर	712248.00
आय से अधिक व्यय	9777859.50	बिजली उपकरण	157197.00
		कंप्यूटर	114020.00
<b>वर्तमान दायित्व</b>		पुस्तकालय पुस्तकें	694.00
	0.00	वाहन	1221102.00
		बकाया अग्रिम	622592.00
		प्रीपेड बीमा	21823.00
		सावधि जमा	10000000.00
		बैंक में (बचत)	3928183.50
<b>कुल</b>	<b>16777859.50</b>	<b>कुल</b>	<b>16777859.50</b>

(लेखा परीक्षा के बिना आंकड़े)



पाई आरेख वर्ष 2013-14 में प्राप्ति और व्यय राशि (लाख में) दिखा रहा है।

\*\*\*\*\*